20/10/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अनुतोष की मांग की है। अतः मामले में जारिये रजिस्ट्री को नोटिस पेश कर प्रार्थी द्वारा धारा 12 की शर्तों के अलावा अन्य तथ्य भी उपस्थित है, जिनकी विस्तृत सुनवाई की जानी है। पत्रावली बहस हेतु 25/10/24 को पेश हो।

25/10/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली बहस हेतु 20/11/24 को पेश हो।

20/11/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विरोधी सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थीगण बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तस्मीम दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

20/11/24

सहायक कलक्टर
कम (फलादा)